

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक : 1952/14-1 रामपुर,

दिनांक : 19 मार्च, 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिटेल सेल्स,
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०,
82, प्रेम नगर,
बरेली।

विषय :- जनपद रामपुर में बिलासपुर-मिलक (एम.डी.आर.-33) किमी० 31.709 की दांयी पटरी पर ग्राम रौराकला के गाटा संख्या-403 पर मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0589 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति पी-29/14-2-2016-800(26)/2016 दिनांक 16.03.2016

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ०एन० संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 व एफ०एन० संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 21.08.2014 के आलोक में जनपद रामपुर में बिलासपुर-मिलक (एम.डी.आर.-33) किमी० 31.709 की दांयी पटरी पर ग्राम रौराकला के गाटा संख्या-403 पर मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0589 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति उ०प्र० शासन द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। अतः निम्न प्रकार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें -

1. वन भूमि के एकसीलेशन/डी-एकसीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डेड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
3. फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाये जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हों), के अतिरिक्त होगा।
5. प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 है० से कम होगा।
6. इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3-2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का सदवार विवरण

- अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया है।
- (क) प्रभावित वन भूमि 0.0589 हे० का वृक्ष वर्तमान मूल्य 7.30 लाख प्रति हे० की दर से रूपये 42997/- (रुपये ब्यालिस हजार नौ सौ सत्तान्च मात्र) ऑनलाइन बालन के द्वारा RTGS Compensatory Afforestation Fund (CAF) उ0प्र0 के एकाउन्ट सं० 037100101025230 IFSC Code - CORP0000371 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नाम करके RTGS बालन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. उपरोक्त आदेशों के अनुसार वृक्ष वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति धौधारापण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाल के लेखा संख्या-एस0वी0-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में जमा कराया जाएगा।
9. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
10. नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
11. प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के पत्तारा (वनस्पति)/फाना(वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग पत्तारा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
12. प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुवीक्ष किया जाएगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उर्वर व्यक्तियों के अधीन आये व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रशासिक वन्याधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर वापस कराई जायेगा।
14. उर्वर वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रयोजित अवधि के अन्दर जब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उर्वर हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उर्वर वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उर्वर वन भूमि अथवा उसके ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो।
15. भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-1-11013/41/2006-1a-II(1) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की वृष्टि से स्टैंडिंग क्रमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
16. उर्वर के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाएगा।
17. राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुभवण के अधीन होगी।
18. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अपडेटेडिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण का जमा करना होगा।

19. प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सैन्युरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
20. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
21. प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
22. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
24. इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
25. पर्यावरण एवं वन मंत्रायल, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
26. प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ0एन0 संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
27. वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का सामान्य वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 38000/- का ऑनलाइन चालान के द्वारा RTGS Compensatory Afforestation Fund (CAF) उ0प्र0 के एकाउन्ट सं0 037100101025230 IFSC Code - CORP0000371 कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नाम कराकर RTGS Slip इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
29. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति जारी कराये जाने की हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर।

संख्या - 1952 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0, मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिलक।

O/C

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर।